न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 12/2024

जी.सी.एम.एस. : 2024/231

अपीलान्ट– **बनाम** **रेस्पोडेन्ट–**

धनुश्री उर्फ ढगली पुत्री स्व. पुराराम पत्नी मुलाराम जाति मेघवाल निवासी बासोर हाल निवासी सासरी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

1. तारूराम पुत्र मोतीराम
2. लक्ष्मणराम पुत्र मोतीराम
3. धनकी पत्नी मोतीराम, जातिगण मेघवाल निवासीगण बासोर तहसील मारवाड़ जंक्शन
4. लीला पुत्री मोतीराम जाति मेघवाल निवासी गुड़ा देवड़ान तहसील देसूरी जिला पाली
5. नारंगी पुत्री मोतीराम जाति मेघवाल निवासी गुड़ा दुर्जन तहसील देसुरी जिला पाली
6. अणची पत्नी पुराराम निवासी बासोर तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
7. राजस्थान राज्य सरकारी जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड़ जंक्शन

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल पंवार।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज बैरवा।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 7 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29/09/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम बासोर पटवार हल्का बासोर के नामान्तरकरण संख्या 166 दिनांक 27.05.1992 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बासोर में अपीलाण्ट के पिता स्व. पुराराम पुत्र गलाराम की कृषि भूमि खसरा संख्या 358 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा संख्या 359 रकबा 0.4553 हैक्टैयर, खसरा संख्या 360 रकबा 0.3415 हैक्टेयर, खसरा संख्या 361 रकबा 0.4300 हैक्टेयर आई हुई है। अपीलाण्ट के पिता पुराराम का देहान्त दिनांक 25.09.1987 को हो गया था एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलाण्ट, पुराराम की एकमात्र प्रथम श्रेणी की जीवित वारिसान है। एकमात्र सन्तान के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत बासोर का प्रमाण–पत्र भी जारी किया गया है फिर भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के पिता ने फर्जी पुत्र बनकर अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया। अपीलाण्ट ने दिनांक 01.06.2024 को जैर आराजी की नकले प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इसलिये उक्त अपील में हुई देरी को क्षमा करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम बासोर में जैर आराजी स्व. पुराराम पुत्र गलाराम की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। पुराराम फौत हो जाने के पश्चात उनके वैध वारिसान स्व. मोतीराम व पत्नी अणची के पक्ष में उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। अपीलाण्ट ने 37 वर्ष बाद जैर अपील पेश की है, जो पूर्णतया म्याद बाहर है। अपीलाण्ट का पुराराम से कोई सम्बन्ध सारोकार नहीं रहा है और न ही वह पुराराम की प्रथमश्रेणी की वारिस है। ग्राम पंचायत को किसी भी व्यक्ति के उत्तराधिकारीगण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने झूठे तथ्यों के आधार पर जैर अपील पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम बासोर पटवार हल्का बासोर के नामान्तरकरण संख्या 166 पर स्वीकृति आदेश दिनांक 27.05.1992 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनिमय, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करते के पश्चात् अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि अपीलाण्ट स्व. पुराराम की एकमात्र जाईन्दा पुत्री है तथा रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 6 के पिता मोतीराम ने अपने आप को पुराराम का पुत्र बताकर विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश स्वीकृत करवाया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने विपक्षी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि स्व. पुराराम का एकमात्र जाईन्दा पुत्र मोतीराम ही है तथा पुराराम फौत होने पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 6 के पिता एवं अणची पत्नी पुराराम के पक्ष में अपीलाधीन आदेश स्वीकृत किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में अपीलाण्ट का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र एवं विद्यालय की टी.सी. पेश की, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत बॉसोर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.06.2024 में अंकितानुसार ''......अपीलाण्ट स्व. पूराराम मेघवाल की एकलोती सन्तान है इनकी माता का नाम अणसी बाई है.....। ......उक्त महिला के इनकी अलावा इनके कोई (स्व. पुरारामजी) के कोई संतान नहीं है।'' साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बॉसोर के पाठशाला प्रवेशानुज्ञा (टी.सी.) प्रमाण पत्र दिनांक 12.09.2024 में अपीलाण्ट ढ़गली के पिता का नाम पूराराम एवं माता का नाम अणसी देवी जाति मेघवाल निवासी बॉसोर अंकित है। इसी प्रकार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में अणची पत्नी स्व. पुराराम का शपथ पत्र पेश किया, जिसमें अंकितानुसार ''.....मेरे पति स्व. पुराराम के विवाह से एकमात्र सन्तान पुत्र मोतीराम का जन्म हुआ था उसके अलावा मेरे कोई सन्तान नहीं है।'' हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष के पास शपथ पत्र और अपीलाण्ट के पास प्रमाण पत्र हैं, जो उनके दावे का समर्थन करते हैं, लेकिन दोनों के कथन विरोधाभासी है। प्रकरण में अपीलाण्ट के पक्ष में ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह तृतीय पक्ष द्वारा जारी है, इसलिये यह अणचीदेवी के शपथ पत्र से अधिक विश्वसनीय माना जाएगा। साथ ही विद्यालय के रजिस्टर में नाम, पिता का नाम, माता का नाम जब दर्ज होता है, तो वह प्रवेश के समय माता–पिता द्वारा दिय गए दस्तावेजों और जानकारी पर आधारित होता है और विद्यालय की टी.सी. यह कहती है कि अपीलाण्ट की माँ अणसी देवी और पिता पूराराम है, जो प्रथमदृष्टया यह साबित करता है कि अपीलाण्ट् झूठा दावा नहीं कर रहीं। मोतीराम की माँ अणची देवी का शपथ पत्र स्वाभाविक रूप से पक्षपाती माना जाएगा, क्योंकि उसका हित उसके बेटे मोतीराम से जुड़ा है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट के दस्तावेज स्वतंत्र स्रोतों से हैं, जो कि अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय माने जाते हैं जबकि रेस्पोडेण्ट्स के पास शपथ पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई रिकॉर्ड न होना यह सम्भावना दर्शाता है कि उनके पास पुख्ता प्रमाण नहीं है ऐसी स्थिति में उनका दावा सन्देहास्पद प्रतीत होता है। अपीलाण्ट ने अपने सन्तान होने के दावे को सिद्ध करने हेतु न केवल स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, बल्कि एक राजकीय विद्यालय का प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं आधिकारिक साक्ष्य हैं। जबकि रेस्पोडेण्ट् ने मात्र अपनी माता अणची देवी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो एकपक्षीय, पारिवारिक हित से प्रेरित एवं पुष्टि–रहित है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अपीलाण्ट के प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या या अप्रमाणिक सिद्ध किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का पक्ष अधिक प्रभावी और मजबूत प्रकट होता है। प्रकरण में

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

अपीलाधीन मूल नामान्तरकरण पर केवल यह अंकित किया गया कि ''पूरा 1 वर्ष पूर्व फौत होने उनके पुत्र व पत्नी के नामन्तरकरण भरा गया।'' अर्थात् मूल नामान्तरकरण में समस्त सम्भावित वारिसों का उल्लेख नहीं किया गया, न ही सजरा तैयार किया गया। नामान्तरकरण की स्वीकृति बिना वारिसों की पूर्ण जांच किये की गयी है, यह स्पष्ट विवरण की कमी को दर्शाता है, जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम बासोर पटवार हल्का बासोर के नामान्तरकरण संख्या 166 पर स्वीकृति आदेश दिनांक 27.05.1992 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए स्व. पुराराम के समस्त विधिक वारिसानों एवं दस्तावेज/साक्ष्य की जांच कर नव सरे विधिनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29\09\2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली